UPSP010092382025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सहारनपुर।
उपस्थितः अभय कृष्ण तिवारी, "उच्चतर न्यायिक सेवा"
दाण्डिक निगरानी संख्या 338 सन् 2025

नितिन पुत्र राजपाल निवासी ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।

.....निगरानीकर्ता/प्रार्थी।

बनाम्

1– उत्तर प्रदेश राज्य ।
2– विवेक उर्फ रोकी पुत्र स्व0 विनोद,
3– राजवती उर्फ राज्जो पत्नी स्व0 विनोद,
4– पूजा पुत्री स्व0 विनोद,
समस्त निवासीगण ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर।

.....प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से, प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 1214/2025, नितिन बनाम विवेक उर्फ रोकी आदि में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.07.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया गया।

2– निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, विपक्षी सं0 1 प्रार्थी के ताऊ का लड़का है, व विपक्षीया सं0 2 प्रार्थी की ताई है व विपक्षीया सं0 3 प्रार्थी के ताऊ की लड़की है। विपक्षीगण विवेक व राजवती ने एक षडयंत्र के तहत प्रार्थी के पिता को अपने घर बुलाकर दिनांक 23.09.2022 को शाम के करीब 4:00 बजे मारपीट करके हत्या कर दी थी, जिसकी बाबत प्रार्थी की माता केला ने न्यायालय के माध्यम से थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 99/2024 अन्तर्गत धारा 302, 504, 506 आई0पी0सी0 पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस थाना बिहारीगढ़ ने विवेक व राजवती को गिरफ्तार करके घटना को सही पाते हुए जेल भेजा तथा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उक्त मुकदमा न्यायालय ए0डी0जे0, कक्ष संख्या 4, में विधाराधीन है, जिसमे प्रार्थी की मां श्रीमती केला का साक्ष्य होना था, प्रार्थी की मां विपक्षीगण 1 व 2 के विरूद्ध उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में अपना बयान न दे दे इस कारण विपक्षीगण ने प्रार्थी की मां श्रीमती केला को पिछले करीब 2 माह से गायब करके अपने कब्जे में कर रखा है, प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालो व रिश्तेदारों ने केला देवी को सभी जगह तलाश कर लिया तथा सम्बन्धित थाना को भी सूचना दी मगर पुलिस थाना द्वारा भी आज तक प्रार्थी की मां के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, प्रार्थी की मां के जिंदा या मुर्दा होने की कोई जानकारी कही से भी नहीं मिल पा रही है, प्रार्थी विपक्षीगण से अपनी माता के बारे में मालूमात करता है तो विपक्षीगण प्रार्थी को कहते हैं कि जहां हमने तेरे बाप को भेजा था वही हमने तेरी मां को भी भेज दिया है जेल तो

हम जा ही चुके हैं देखते है तू हमे कितनी बार जेल मिजवायेगा। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने सम्बन्धित थाने पर सूचना दी मगर पुलिस थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर ने कोई कार्यवाही नहीं की तो प्रार्थी ने दिनांक 31.04.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सहारनपुर को पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भी पुलिस थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर ने करीब 1 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी ने अपने फूफा व बुआ गुरदेई व अन्य रिश्तेदारों को साथ लेकर दिनांक 25.05.2025 को शाम के करीब 4 बजे विपक्षीगण को प्रार्थी की माता के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में कहा मगर विपक्षीगण ने साफ कहा कि जब तक तुम फैसला लिखकर नहीं देते हम तुम्हारी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। प्रार्थी ने विपक्षीगण को फैसला लिखकर देने से मना किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी के रिश्तेदारों के साथ मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी तथा साफ कहा कि जो तेरे से होता हो कर ले, हम तेरे मां के बारे में कुछ नहीं बतायेंगे और देखते है तू हमे अपनी माता के बिना कैसे सजा करायेगा। विपक्षीगण ने संज्ञेय अपराध कारित किया है, जिसके बाबत थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी की माता को विपक्षीगण के चुंगल से बरामद किया जा सके। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 02.07.2025 पारित करते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी है।

4– निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.07.2025 विरूद्ध विधि तथा पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किये बिना निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की अनदेखी करते हुये पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से अन्तर्गत धारा 140, 127, 351(2), 352, 61(2) बी0एन0एस0 का अपराध प्रथम दृष्टया बनता है जिसकी बाबत थाना बिहारीगढ पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था मगर विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.05.2025 को निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध बनना प्रकट हो रहा है जहां पर संज्ञेय अपराध बनता है वहां पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया जाना अज्ञापक एवं न्यायहित में आवश्यक है, इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करते समय कोई ध्यान नहीं दिया। विपक्षीगण 2 ता 4 से निगरानीकर्ता के परिवार से जमीनी रंजिश के कारण निगरानीकर्ता के पिता स्व0 राजपाल को दिनांक 23.09.2022 को शाम के करीब 4 बजे एक षडयंत्र के तहत अपने घर पर बुलाकर हत्या कर दी थी, उक्त घटना का मुकदमा भी पुलिस थाना बिहारीगढ ने विपक्षीगण 2 ता 4 के प्रभाव में आकर दर्ज नहीं किया था, निगरानीकर्ता की मां केला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 99/2024 पर धारा 302, 504, 506 आई0पी0सी0 में मुकदमा दर्ज कराया। उक्त मुकदमे के संबंध में विपक्षीगण 2 व 3 की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुयी, विपक्षीगण 2 व 3 के विरूद्ध पुलिस थाना बिहारीगढ़ ने घ ाटना को सही पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जिसका मुकदमा वर्तमान में ए0डी0जे0, कक्ष संख्या 4, के यहां एस0टी0 नम्बर 2163/2024 पर विचाराधीन है जिसमे निगरानीकर्ता की मां केला का साक्ष्य होना है। निगरानीकर्ता की मां केला उक्त मुकदमे में विपक्षीगण 2 व 3 के विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य न दे सके इसी मंशा से

विपक्षीगण 2, 3 व 4 ने निगरानीकर्ता की मां को पिछले काफी समय से अपने कब्जे में कर रखा है। दिनांक 25.05.2025 को शाम के करीब 4 बजे निगरानीकर्ता एवं उसके रिश्तेदार ने विपक्षीगण 2 ता 4 से पूछताछ की तो विपक्षीगण 2 ता 4 ने निगरानीकर्ता व उसके रिश्तेदारो को बताया कि जब तक तुम हमारे हक मे उक्त मुकदमे में फैसला लिखकर नहीं देते तब तक हम तुम्हारी मां की जिन्दा या मुर्दा होने की जानकारी नहीं देंगे। विपक्षीगण 2 ता 4 ने प्रार्थी के साथ भी गाली–गलौच की व जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट की। पुलिस थाना बिहारीगढ़ ने विपक्षीगण 2 ता 4 के प्रभाव में आकर विचारण न्यायालय के समक्ष यह रिपोर्ट दी है कि निगरानीकर्ता ने अपनी मां के गायब होने की सूचना सम्बन्धित थाने पर नहीं दी। जबकि निगरानीकर्ता अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर उक्त मुकदमे की घटना की सूचना देने कई बार थाना बिहारीगढ पर जा चुका है, पुलिस थाना बिहारीगढ़ ने निगरानीकर्ता की मां की गुमशुदगी भी दर्ज नहीं की। मजबूर होकर निगरानीकर्ता ने दिनांक 21.04.2025 को एस.एस.पी. सहारनपुर को प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक प्रेषित किया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। निगरानीकर्ता की बात थाने वालो ने नहीं सुनी न एसएसपी को भेजे गये प्रार्थना पत्र पर थाना पुलिस थाना बिहारीगढ ने निगरानीकर्ता की माता केला के गायब होने के संबंध में कोई कार्यवाही की। मजबूर होकर निगरानीकर्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष थाना बिहारीगढ़ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिये दिनांक 30.05.2025 को धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने भी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को गम्भीरता से विचार किये बिना उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ही निगरानीकर्ता का मार्ग दर्शन करे कि निगरानीकर्ता को अपनी माता की जिन्दा या मुर्दा होने की जानकारी इसके अलावा और क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में कथित किया है कि आवेदक ने पैसे व जमीन को लेकर फैसला कर लिया था, जबकि उक्त वाद की घटना की बाबत व मु0अ0सं0 99/2024 की बाबत कभी कोई फैसला विपक्षीगण 2 ता 4 से नहीं हुआ निगरानीकर्ता उक्त मुकदमे में प्रबल पैरवी करता चला आ रहा है तथा यह भी कथित है कि यह मामला पारिवारिक है, जबकि यह मामला पारिवारिक नहीं, एक महिला की जीवन या मृत्यु से सम्बन्धित मामला है, जिसकी बाबत थाना बिहारीगढ़ पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना किये जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायति में आवश्यक है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.07.2025 निरस्त कर निगरानीकर्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 दिनांकित 30.05.2025 पर पुनः सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित कर थाना बिहारीगढ़ पर उक्त मुकदमे के संबंध में मुकदमा दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा निगरानी के समर्थन में सूचि 5ख/1 से नकल आदेश दिनांकित 02.07.2025 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 5ख/2 व स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 7ख की गयी है।

5– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा यह अभिकथन किया है कि विपक्षीगण पर उसकी माता ने उसके पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और मुकदमा अपर जिला जज, कक्ष संख्या–4, सहारनपुर मे विचाराधीन है। उक्त मुकदमे में प्रार्थी की माता श्रीमती केला का साक्ष्य होना है। प्रार्थी की मॉ उक्त मुकदमे में साक्ष्य न दे सके इसलिये विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उन्हे दो माह से गायब करके अपने कब्जे मे रख रखा है। प्रार्थी व उसके परिवार वालो ने रिश्तेदारी मे सब जगह तलाश किया, सम्बन्धित थाने को भी सूचना दी, मगर आज तक उसकी माता के

सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही उनके जिन्दा या मुर्दा होने की जानकारी मिल पा रही है। इस प्रकार प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप अपराध बहुत ही गम्भीर प्रकृति का संज्ञेय अपराध है।

7— आक्षेपित आदेश में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, सहारनपुर द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के है तथा मुकदमेंबाजी को लेकर रंजिश चल रही है। अपनी मॉ के गायब होने के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा थाने मे सूचना नही दी गयी है और आवेदक चालाक किस्म का व्यक्ति है। उसके पिता राजपाल व विपक्षीगण में झगड़ा हो गया था, जिसमे आवेदक के पिता को चोट लगने के कारण मृत्यु हो गयी। परन्तु पिता की मृत्यु के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप को सही पाते हुये आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमे आरोप विरचित किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। अतः इस स्तर पर यह कहना कि आवेदक चालाक किस्म का व्यक्ति है और झगड़े में चोट लगने के कारण आवेदक के पिता के मृत्यु हुई थी और मुकदमा लिखाया है, यह अभिमत इस स्तर पर सही नहीं है। साथ ही मामला भले ही पारिवारिक हो, यदि किसी की मॉ गायब हुई है उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर उनकी खोज किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8— दाण्डिक निगरानी संख्या—338 सन 2025 नितिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि स्वीकार की जाती है। इससे सम्बन्धित प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 1214/2025 नितिन बनाम विवेक उर्फ रॉकी आदि में पारित आदेश दिनांकित 02.07.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह पुनः निगरानीकर्ता को सुनकर उपरोक्त निर्णय के आलोक में विधिसंगत आदेश पारित करना सुनिश्चित करे। निगरानीकर्ता/प्रार्थी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनॉक 25.05.2026 को उपस्थित हो।

कार्यालय निर्णय की प्रमाणित प्रति विद्वान विचारण न्यायालय के कार्यालय में उपरोक्त नियत तिथि से पूर्व भेजना सुनिश्चित करे। निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अभय कृष्ण तिवारी)
आई.डी.— यू0पी0 6199
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—1, सहारनपुर।

दिनॉक 11.05.2026

प्रस्तुत निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके उद्घोषित किया गया।

(अभय कृष्ण तिवारी)
आई.डी.— यू0पी0 6199
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या—1, सहारनपुर।

दिनॉक 11.05.2026

Digitally signed by ABHAY KRISHNA TIWARI
Date: 2026.05.11 17:22:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court